पत्र संख्या–वाहन क्रय–आउअसोर्सिंग से वाहन व्यवस्था / 2023–2024 / 5758 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 31 मार्च,2023

सर्वश्री बजरंग लाजिस्टिक,
291, सुल्तानपुर रोड, सरसवॉ, लखनऊ।

शासन के पत्र संख्या–147 / 11–4–2023–300(39) / 13, लखनऊ दिनांक 31 मार्च 2023 द्वारा जेम पोर्टल से चयनित संस्था सर्वश्री बजरंग लाजिस्टिक से वित्तीय वर्ष–2022–2023 में आउटसोर्सिंग पर लिए गये 100 वाहनों को वर्तमान वित्तीय वर्ष–2023–2024 में दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 10.11.2023 तक लिये जाने हेतु नवीनीकरण की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि वित्तीय वर्ष–2023–2024 में संस्था को भुगतान किये जाने से पूर्व शासन से वित्तीय अनुमति प्राप्त कर लिया जायेगा।

अतः शासन से प्राप्त उक्त अनुमति तथा आयुक्त, राज्य कर उ0 प्र0 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि गत वित्तीय वर्ष–2022–2023 की निविदा में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध कराये जा रहे 100 वाहनों को अनवरत सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0–
(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश
प्रभार–अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश,लखनऊ

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ0 प्र0 को शासन से प्राप्त उक्त अनुमति तथा आयुक्त, राज्य कर उ0 प्र0 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष–2023–2024 के लिये दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 10.11.2023 तक सर्वश्री बजरंग लाजिस्टिक के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध वाहन संबंधित कार्यालयों को इस आशय से अनवरत उपलब्ध कराया जा रहा है कि उस कार्यालय हेतु निर्धारित लक्ष्य से 02 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संयुक्त अयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करनें का कष्ट करें।
3. संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आउटसोर्सिंग वाहनों की सूचना विभागीय माड्यूल में राजकीय अवकाश की गणना करते हुए प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(विरेन्द्र कुमार)
उपायुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।